

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(1)न्याय/19

जयपुर, दिनांक: 25.02.2020

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के स्थानान्तरण/ पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-


क्र. सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	वर्तमान पदस्थापन स्थान	प्रस्तावित पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	केदारनाथ	उप विधि परामर्शी शिक्षा ग्रुप-3 उच्च शिक्षा, सचिवालय जयपुर	संयुक्त विधि परामर्शी (वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद पर पदोन्नति पर
2.	रमेश कुमार आर्य	सहायक विधि परामर्शी जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	उप विधि परामर्शी संस्कृत शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद पर पदोन्नति पर
3.	कैलाशचंद्र स्वर्णकार	सहायक विधि परामर्शी नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर कार्यालय उदयपुर	श्री ओझा के स्थान पर पदोन्नति पर
4.	श्री राकेश कुमार ओझा	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर कार्यालय उदयपुर	उप विधि परामर्शी निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर	रिक्त पद पर

आज्ञा से

25.2.2020
(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के क्रम में संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
4. संबंधित अधिकारीगण/कर्मचारीगण को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में पालना सुनिश्चित करें।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।


25.2.2020
संयुक्त शासन सचिव